भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

विमानन संरक्षा निदेशालय

फाइल संदर्भ सं: भाविप्रा/13-22/14-एवीएस/106

दिनांक: 19.07.2024

विमानन संरक्षा परामर्शिका परिपत्र 03/2024

विषय : भाविप्रा के हवाईअड्डों के प्रचालन / टर्मिनल भवनों में आग की घटनाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी ।

1. परिचय

हवाईअड्डे के प्रचालन भवन, नियंत्रण टावर और टर्मिनल भवन महत्वपूर्ण संस्थापना माने जाते हैं तथा सुरक्षित और दक्ष नागर विमानन संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टर्मिनल भवन में आग लगने से अव्यवस्था फैल सकती है और हवाई अड्डे पर दुर्घटना और /या उड़ान बाधित हो सकती है। दूसरी ओर, विमान यातायांत सेवा इकाइयों या नेविगेशनल उपकरणों वाले प्रचालन भवनों में आग लगने से न केवल हवाईअड्डों पर बल्कि हवा में उड़ते विमानों के लिए भी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

हाल ही में कुछ अंतरराष्ट्रीय और घरेलू हवाईअड्डों की इमारतों में आग लगने की घटनाओं से आग से रोकने वाले उपकरणों के रखरखाव और संचालन, आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारी और प्रचालन भवनों के भीतर आग पकड़ने वाली सामग्री के भंडारण के बारे में चिंता पैदा हुई है।

2. उद्देश्य

यह परामर्शिका परिपत्र विमानन समुदाय, विशेष रूप से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व और प्रचालन संबंधी हवाईअड्डों और विमान यातायात सेवा सुविधाओं का प्रबंधन करने वाले हवाईअड्डा संचालन प्राधिकारियों को जानकारी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यह परामर्शिका परिपत्र हवाईअड्डा संचालकों का मार्गदर्शन करता है तथा अग्नि निवारण एवं नियंत्रण के लिए वर्तमान मार्गदर्शन को प्रतिबिंबित करता है। परिपत्र में विभिन्न केन्द्र और राज्य अग्नि सम्बन्धी विनियमों में उल्लिखित अग्नि निवारण और नियंत्रण की सम्पूर्ण प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन यह उन राज्यों के अग्नि सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करेगा जिनमें हवाईअड्डा/ विमान यातायात सेवा सुविधा स्थित है।

यह परामर्शिका परिपत्र विमान यातायात सेवा केन्द्रों और टर्मिनल भवनों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि के गंभीर प्रतिक्रियास्वरूप जारी किया गया है।

जारी...2/

3. निरस्तीकरण

शून्य

4. कार्यक्षेत्र व उत्तरदायित्व

यह परिपत्र हवाईअड्डों (सिविल एन्क्लेव सहित) तथा एटीएस केन्द्रों पर कार्यरत सभी भाविप्रा कार्मिकों के लिए लागू है।

5. प्राधिकरण

हालांकि टर्मिनल भवनों और एटीएस केंद्रों पर आग की घटनाएं सीधे तौर पर विमानन संरक्षा के दायरे में नहीं आती हैं परंतु नागर विमानन क□ बाधित करने की प्रकृति के कारण, हितधारक क□ र□कथाम और नियंत्रण का उचित ध्यान रखने की सलाह देना उपयुक्त है। विमानन संरक्षा निदेशालय, भाविप्रा क□ विमानन संचालन के भाविप्रा ड□मेन में संरक्षा प्रबंधन प्रणाली क□ लागू करने और भाविप्रा के भीतर सेवा प्रदाता निदेशालयों की सहायता से संरक्षा बढ़ाने, इसकी रिप□र्टिंग, विश्लेषण, शमन और नियंत्रण के लिए निर्देश जारी करने का आदेश दिया जाता है।

6. अधिसूचनाएँ व रिप□र्टिंग

कार्यस्थल पर आग लगना विनाशकारी ह□ सकता है। इससे न केवल भवन के अंदर नागर विमानन से संबंधित कार्यों से सम्बद्ध व्यक्तियों के जीवन के लिए बल्कि नागर विमानन कार्य के लिए आवश्यक मशीनों और महत्वपूर्ण सुविधाओं के लिए भी ज□खिम उत्पन्न ह□ता है। कार्यस्थल अथवा भवन में आग लगने से आम जनता भी प्रभावित ह□ती है इसलिए कार्यस्थल पर आग लगने से बचाव किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

भवन अथवा कार्यालय में आग लगने से स्वयं क□ सुरक्षित रखने के लिए अपने स्टेशन पर तैयार की गई फ़ायर चेकलिस्ट में नीचे दी गई वस्तुओं सहित सभी वस्तुओं की जाँच करना सुनिश्चित करें। इस सूची में दी गई वस्तुएं केवल नमूने के रूप में हैं एवं वास्तव में संपूर्ण में नहीं हैं।

□ ऑफ़िस क□ आग लगने के खतरों जैसे: कि खराब आउटलेट, पैकेजिंग मटीरियल, पुराने कंप्यूटर /मशीन, घिसते हुए बिजली के तार और ओवरल□डेड सॉकेट से मुक्त बनाएं।

□ ऑफ़िस क□ खुला और हवादार रखें।

□ सुनिश्चित करें कि सभी फ़्ल□र पर स्म□क अलार्म की जाँच की गई ह□ और वे कार्य कर रहे हों।

□ यह सुनिश्चित करें कि रख-रखाव कार्मिकों द्वारा अग्निशामक यंत्र कहाँ रखे जाते हैं और उनका उपय□ग कैसे किया जाता है।

जारी....3/-

- कार्यालय के अंदर के क्षेत्र को धूम्रपान निषेध क्षेत्र रखें ।
- प्रमुख स्थानों पर आपातकालीन हॉटलाइन नंबरों को प्रदर्शित करें ।
- जब किसी के द्वारा कॉफी मेकर और माइक्रोवेव जैसे उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा रहा हो तो उन्हें अनप्लग कर दें ।

यद्यपि आग अप्रत्याशित और विनाशकारी हो सकती है फिर भी उसे काफी हद तक रोका जा सकता है । कार्यस्थल पर अग्नि सुरक्षा और रोकथाम का अभ्यास करके, भाविप्रा का प्रत्येक कार्मिक सुरक्षित वातावरण बनाने में योगदान दे सकता है जिससे आग के कारण नागर विमानन में कोई व्यवधान नहीं आएगा ।

हवाईअड्डा प्रचालन और विमान यातायात सेवा (ATS) में लगे सभी कार्मिकों को इस प्रयोजन के लिए निर्धारित स्थानीय SOP के अनुसार समय पर अग्निशमन सेवाओं को सूचित करना होगा ।

जान-माल की हानि के जोखिम और उड़ान में व्यवधान को न्यूनतम करने के लिए यह आवश्यक है कि हवाईअड्डा प्रचालन और विमान यातायात सेवा (ATS) प्रावधान में लगे सभी भाविप्रा कर्मचारी आग की सूचना देने के बारे में सतर्क हों और बुनियादी अग्निशमन बचाव कार्य में प्रशिक्षित हों ।

1. स्पष्टीकरण

इस परिपत्र पर स्पष्टीकरण के लिए कार्यपालक निदेशक (विमानन संरक्षा) से edas@aai.aero पर ई-मेल भेजकर या निम्नलिखित पते पर डाक द्वारा अनुरोध किया जा सकता है ;

कार्यपालक निदेशक
विमानन संरक्षा निदेशालय
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
कमरा संख्या ए-222 राजीव गांधी भवन
सफदरजंग हवाई अड्डा
नई दिल्ली-110003

2. संदर्भ

अधिक जानकारी और पढ़ने के लिए यहां कुछ उपयोगी संदर्भ दिए गए हैं ।

- राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 ।
- महानिदेशक (अग्निशमन सेवाएं, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड) ।
- अग्नि बचाव और अग्नि संरक्षा अपेक्षाएं अध्याय 7 गृह मंत्रालय ।

जारी...4/

7. वैधता

यह विमानन संरक्षा परामर्शिका परिपत्र 03/2024 अगली सूचना तक लागू रहेगा।

अनिल 19/07/2024

(अनिल कुमार मीना)
कार्यपालक निदेशक (विमानन संरक्षा)

वितरण : - मानक सूची के अनुसार।

- https://www.bis.gov.in/standards/technical-department/national-building-code/
- https://dgfscdhg.gov.in/
- https://dgfscdhg.gov.in/sites/default/files/Revised%20Model%20Fire%20Service%20Bill%202019%20%28pdf%20file%29.pdf
- https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/Chap-7.pdf